

मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **अशोकनगर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **अशोकनगर** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Ashoknagar** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Ashoknagar** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in subsection (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011-चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2010

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **अनूपपुर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, अनूपपुर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2010

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2010

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Anuppur the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Anuppur** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **अलीराजपुर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2010

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Alirajpur the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Alirajpur** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **भोपाल** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2010 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Bhopal** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Bhopal** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **भिण्ड** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मिजस्ट्रेट, भिण्ड यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2010 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Bhind** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Bhind** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **बालाघाट** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **बालाघाट** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जन 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2010

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Balaghat** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Balaghat** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **बेतूल** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **बैतूल** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जुन 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव..

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2010 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Betul** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Betul** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-िमलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **बड़वानी** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मिजस्ट्रेट, **बड़वानी** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार.

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2010 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Barwani** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Barwani** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **बुरहानपुर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **बुरहानपुर** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2010 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Burhanpur** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Burhanpur** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **छतरपुर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **छतरपुर** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Chhatarpur** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Chhatarpur** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in subsection (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **छिन्दवाड़ा** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **छिन्दवाड़ा** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Chhindwara** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Chhindwara** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in subsection (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **दितया** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, दितिया यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2010 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Datia** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Datia** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक १४७ र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **दमोह** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, दमोह यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2010

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Damoh** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Damoh** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **देवास** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मिजस्ट्रेट, देवास यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 27th September 2010 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Dewas** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Dewas** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secv.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक १४९ र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **धार** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, धार यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Dhar** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Dhar** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011, if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **डिण्डौरी** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मिजस्ट्रेट, **डिण्डौरी** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Dindori** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Dindori** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 9, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **गुना** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, गुना यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Guna** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Guna** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152 व

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रिय है या उनके सिक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **ग्वालियर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Gwalior** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Gwalior** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **होशंगाबाद** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **होशंगाबाद** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th September 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Hoshangabad** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Hoshangabad** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in subsection (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **हरदा** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **हरदा** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव,

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Harda** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Harda** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 155]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **जबलपुर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मिजस्ट्रेट, जबलपुर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Jabalpur** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Jabalpur** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-िमलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **झाबुआ** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए. राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **झाबुआ** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Jhabua** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Jhabua** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **खण्डवा** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, खण्डवा यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Khandwa** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Khandwa** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **खरगोन** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, खरगोन यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Khargone** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Khargone** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **कटनी** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, कटनी यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Katni** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Katni** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **मंदसौर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, मंदसौर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Mandsaur the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Mandsaur** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161 व

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **मुरैना** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, मुरेना यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा. सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Morena** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Morena** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रिय है या उनके सिक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **मण्डला** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मिजस्ट्रेट, मण्डला यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Mandla the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Mandla** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रिय है या उनके सिक्रिय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **नरसिंहपुर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **नरसिंहपुर** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Narsinghpur the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Narsinghpur** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in subsection (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **नीमच** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मिजस्ट्रेट, नीमच यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Neemuch** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Neemuch** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-िमलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **पन्ना** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **पन्ना** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Panna** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Panna** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **राजगढ़** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मिजस्ट्रेट, राजगढ़ यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Rajgarh** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Rajgarh** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **रायसेन** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, रायसेन यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा. सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Raisen** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Raisen** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक १६८ व

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **रतलाम** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, रतलाम यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार.

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Ratlam** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Ratlam** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक १६९ व

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011-चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **रीवा** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, रीवा यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Rewa** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Rewa** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **सीहोर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सीहोर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जुन 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Sehore** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Sehore** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011-चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **सागर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सागर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जुन 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Sagar the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Sagar** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक २९ मार्च २०11—आश्विन ८, शक १९३३

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रिय है या उनके सिक्रिय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, सतना की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्ये सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सतना यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार.

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

प्. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव,

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Satna the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Satna may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **सीधी** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सीधी यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31–05–1998-दो-सी–1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Sidhi** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Sidhi** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-िमलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **सिंगरौली** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सिंगरौली यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल. दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Singrauli** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Singrauli** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक २९ मार्च २०11—चैत्र ८, शक १९३३

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल. दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकृत प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **शहडोल** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदुद्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **शहडोल** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार.

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पु. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,

सीमा शर्मा, सचिव,

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Shahdol the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Shahdol may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **शाजापुर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, शाजापुर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Shajapur** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Shajapur** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **शिवपुरी** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, शिवपुरी यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा. सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Shivpuri** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Shivpuri** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



[राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178ी

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल. दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रिय है या उनके सिक्रिय हो जाने की संभावना है:

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **सिवनी** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, **सिवनी** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार.

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

प्. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Seoni the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Seoni may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **श्योपुर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मिजस्ट्रेट, श्योपुर यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Sheopur** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Sheopur** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180 र

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **टीकमगढ़** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Tikamgarh** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Tikamgarh** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदियक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रितिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **उज्जैन** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, उज्जैन यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार.

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—WHEREAS, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, Ujjain the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Ujjain** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **उमरिया** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, उमिरया यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011 ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Umaria** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Umaria** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **इन्दौर** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है:

अतएन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मिजस्ट्रेट, **इन्दौर** यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शिक्तयों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा. सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदुद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Indore** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Indore** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011-चैत्र 8, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

आदेश

क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कितपय तत्व, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था बनाये रखने पर तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिये सिक्रय है या उनके सिक्रय हो जाने की संभावना है;

और, चूंकि, जिला मजिस्ट्रेट, **विदिशा** की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, विदिशा यदि उनका उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त निरोध का आदेश करने की शक्तियों का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2011 की कालाविध के दौरान कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

पृ. क्र. एफ. 31-05-1998-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सीमा शर्मा. सचिव.

Bhopal, the 29th March 2011

ORDER

F. No. 31-05-1998-II-C-1.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and commit any act prejudicial to the maintenance of public order and the security of the State;

AND, WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of jurisdiction of the District Magistrate, **Vidisha** the State Government is satisfied that it is necessary to do so;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, **Vidisha** may, during the period from 1st April 2011 to 30th June 2011 if satisfied, as provided in sub-section (2) of the said Section, exercise the powers of making an order of detention conferred by sub-section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SEEMA SHARMA, Secy.